वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,देहरादून की दिनांक 24.01.2022 को आयोजित/सम्पन्न 18वीं वित्त समिति के विनिश्चिय (निर्णय)

डॉ0 पी0पी0ध्यानी, मा0 कुलपति, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,देहरादून की अध्यक्षता में 18वीं वित्त समिति की बैठक विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सभागार कक्ष में दिनांक 24.01.2022 दिन सोमवार समय 11.30 बजे से सम्पन्न हुई जिसमें वित्त समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत् रही :-

क्र0स0	नाम	पदनाम
01	डॉ0पी0पी0ध्यानी, मा0 कुलपति, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,देहरादून	अध्यक्ष
02	श्री वेदीराम, अपर सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
03	श्री एम0एम0सेमवाल, अपर सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
04	श्री आर0के0श्रीवास्तव, अपर सचिव न्याय, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
05	श्री एस0एस0टोलिया, संयुक्त सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
05	श्री बिक्रम सिंह जंतवाल, वित्त नियंत्रक, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,देहरादून	संयोजक/सदस्य
06	श्री आर0 पी0 गुप्ता, कुलसचिव, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,देहरादून	आमंत्रित सदस्य
07	श्री पी0 के0 अरोड़ा, परीक्षा नियंत्रक, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,देहरादून	आमंत्रित सदस्य
08	श्री सुरेश चन्द्र आर्य, सहायक लेखाधिकारी , वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,देहरादून	आमंत्रित सदस्य

सर्वप्रथम मा0 कुलपति महोदय द्वारा वित्त समिति की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यगणों का स्वागत किया गया तत्पश्चात बैठक आरम्भ हुई। वित्त समिति द्वारा एजेण्डा बिन्दु 01 पर विगत 17वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करते हुये एजेण्डा बिन्दुवार निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

एजेण्डा	एजेण्डा बिन्दु	वित्त समिति में प्रस्तुत प्रस्ताव का औचित्य	वित्त समिति का निर्णय /संस्तुति
बिन्दु संख्या 01	विगत 17वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 11.02.2021 के विनिश्चियों (निर्णयों) पर कृत कार्यवाही–	16वीं वित्त समिति के बिन्दु संख्या **बिन्दु–10(3)** पर गुरू नानक एजुकेशन ट्रस्ट (हरमेश संस्थान) पर अर्थदण्ड माफ किये जाने के प्रस्ताव पर शासन स्तर पर कार्यवाही गतिमान है। 17वीं वित्त समिति के निर्णयों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या पृथक से सलंग्न–01 पर प्रस्तुत की जा रही है।	वित्त समिति द्वारा इस प्रकरण पर विस्तार से चर्चा उपरांत अर्थदण्ड माफ किये जाने हेतु शासन द्वारा चाही गयी 05 बिन्दुओं की सूचना के सापेक्ष सम्बन्धित संस्थान से प्राप्त सूचना/विश्वविद्यालय एक्ट/विनियमावली आदि में इस सम्बन्ध में साक्ष्यों सहित इस प्रकरण की पूरी जानकारी के साथ एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से न्याय विभाग उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। 17वीं वित्त समिति के बिन्दु संख्या 06 पर परीक्षा भवन/अतिथि गृह निर्माण के अनुपालन के क्रम में महिला तकनीकी संस्थान, सुद्धोवाला हेतु निर्मित अनावासीय भवन पूर्ण हो जाने पर उक्त संस्थान हेतु विश्वविद्यालय निधि से पूर्व में निर्मित प्री0–फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर तत्काल ही महिला तकनीकी संस्थान से खाली कराये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया
बिन्दु संख्या 02	तकनीकी विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष **2021–22** हेतु अनुमानित आय–व्ययक अनुमोदनार्थ **अनु0 आय : रू0 24.74 करोड़** **अनु0 व्यय : रू0 18.47 करोड़** **(बचत) : रू0 6.27 करोड़**	वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु अनुमानित आय **रू0 24.74 करोड़** के सापेक्ष **रू0 18.47 करोड़** अनुमानित व्यय का अनुमान वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	वित्त वर्ष 2021–22 हेतु तैयार किये गये अनुमानित आय–व्ययक पर विस्तृत चर्चा उपरांत सर्वसम्मिति से वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr>
<td>बिन्दु संख्या 03</td>
<td>तकनीकी विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष 2020–21 का वास्तविक आय–व्ययक अनुमोदनार्थ

वास्तविक आय : रू0 11.46 करोड़
वास्तविक व्यय : रू0 13.63 करोड़

(– आधिक्य) : 02.17 करोड़

अनुमानित आय : रू0 33.49 आय
अनुमानित व्यय : रू0 31.06 व्यय</td>
<td>वित्तीय वर्ष 2020–21 में भवन निर्माण हेतु अनुमानित आय में शासकीय अंश के सापेक्ष धनराशि प्राप्त न होने पर एवं विगत शैक्षिक सत्र हेतु कोविड–19 महामारी होने एवं अनुमान के सापेक्ष अत्यधिक कम प्रवेश होने के कारणवश अनुमानित आय रू0 33.49 करोड़ के सापेक्ष केवल रू0 11.46 करोड़ की वास्तविक आय प्राप्त हुयी है।
साथ ही व्यय मद में मुख्यत (06 विकास मद) विश्वविद्यालय में संघटक संस्थानों के निर्माणाधीन अनावासीय भवन निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त न होने के कारण अनुमानित व्यय रू0 31.06 करोड़ के सापेक्ष केवल रू0 13.63 करोड़ का वास्तविक व्यय हुआ है।
वित्तीय वर्ष 2020–21 का वास्तविक आय रू0 11.46 करोड एवं वास्तविक व्यय रू0 13.63 करोड़ का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</td>
<td>वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के वास्तविक आय–व्ययक पर सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

वास्तविक आय : रू0 11.46 करोड़
वास्तविक व्यय : रू0 13.63 करोड</td>
</tr>
<tr>
<td>बिन्दु संख्या 04</td>
<td>विशेष आयोजनागत सहायता अन्तर्गत (एस0पी0ए0) विश्वविद्यालय के 05 संघटक तकनीकी संस्थानों (पिथौरागढ़/गोपेश्वर/बौन उत्तरकाशी/सद्धौवाला एवं टनकपुर) के निर्माणाधीन अनावासीय भवन निर्माण हेतु समय अवधि को दिनांक 31.03.2022 तक विस्तार हेतु प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</td>
<td>विश्वविद्यालय के 05 संघटक संस्थानों के निर्माणाधीन अनावासीय भवन निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बजट प्राप्त न होने के कारण परियोजनायें पूर्ण नहीं हो पायी है एवं निर्माण कार्य बाधित है विवरण निम्नवत् हैः–
(धनराशि लाख रू0 में)
<table>
<tr><td rowspan="2">क्र स</td><td rowspan="2">परियोजना का नाम</td><td rowspan="2">परियोजना की लागत</td><td colspan="2">कार्यदायी संस्था को अवमुक्त धनराशि</td><td rowspan="2">कुल अवमुक्त धनराशि</td><td rowspan="2">भौतिक प्रगति</td></tr>
<tr><td>शासकीय</td><td>यू0टी0यू0</td></tr>
<tr><td>1</td><td>एस0आई0टी0 पिथौरागढ़</td><td>2273.25</td><td>700.00</td><td>719.29</td><td>1419.29</td><td>55 %</td></tr>
<tr><td>2</td><td>तकनीकी</td><td>2109.38</td><td>1048.86</td><td>1049.86</td><td>2098.72</td><td>98</td></tr>
</table></td>
<td>वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के समस्त निर्माणाधीन अनावासीय भवनों की प्रगति पर चर्चा उपरांत लागत में वृद्धि न किये जाने की शर्त पर दिनांक 31.03.2022 तक अवधि विस्तारण के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
साथ ही विशेष रूप से एस0आई0टी0, पिथौरागढ़ के निर्माण कार्यो में गुणवत्ता सुधार किये जाने हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को निर्देशित किये जाने हेतु भी अनुमोदन प्रदान किया गया।</td>
</tr>
</table>